संख्या— 10 /59-2-2011-19(खा)/2009

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उ0प्र0 लखनऊ।

326
04-2-11

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ/ दिनांक- 07/02/2011

विषयः- **उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की वित्तपोषित इकाईयों की व्यवहारिक प्रशिक्षण (आयोजनेत्तर) योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा-28(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवकों/उद्यमियों को वित्तपोषण से पूर्व प्रशिक्षित करने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित रू0 40,00,000.00 (रूपये चालीस लाख मात्र) के सापेक्ष द्वितीय छमाही हेतु धनराशि रू0 20,00,000.00 (रूपये बीस लाख मात्र) संलग्न फॉट के अनुसार निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का व्यय बोर्ड के अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

1- स्वीकृत किये जा रहे अनुदान के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-पांच भाग-एक के अध्याय 16-ए में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- स्वीकृत किये जा रहे अनुदान का भुगतान वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-पांच भाग-एक के प्रस्तर-209 एवं 209 ए में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए कराया जायेगा।

3- स्वीकृत किये जा रहे अनुदान का जिस कार्य हेतु स्वीकृत किया जा रहा है उसी कार्य के लिए किया जायेगा तथा संस्था/व्यक्ति जिसे अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है, को यह अधिकार नहीं होगा कि वह प्रश्नगत कार्य किसी अन्य संस्था अथवा व्यक्ति से कराये।

4- उक्त धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951/ दस-2010-231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 में दिये गये निर्देशों तथा समय-समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्णतया पालन प्रभारी, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5- उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रभारी, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र अधिकारियों द्वारा प्रपत्र बी0एम0-13 में दो प्रतियों में शासन व सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।

6- उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार शासन को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

7- उक्त धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

2- उपर्युक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनेत्तर-105-खादी ग्रामोद्योग-11-खादी बोर्ड की वित्तपोषित इकाईयों को व्यवहारिक प्रशिक्षण (जिला योजना) -20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-6-26/दस-2011, दिनांक 21.1.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या- 10 (1)59-2-2011-19(खा)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद,
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद,
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 125 जवाहर भवन, लखनऊ,
7. जिलाधिकारी/प्रभारी, मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बहराइच, इलाहाबाद, जालौन, शाहजंहापुर, मथुरा, बिजनौर।
8. गार्ड फाइल।
9. एन0आई0सी0 को प्रेषित।

आज्ञा से,

(आर0डी0 कल्याण)
अनु सचिव

पत्रांक रा0— 10 /59—2—2011—19(खा)/2009 दिनांक 02/2/ 2011 का संलग्नक

व्यवहारिक प्रशिक्षण योजना (आयोजनेत्तर) वर्ष 2010—11 द्वितीय छमाही का प्रशिक्षण का केन्द्रवार/जनपदवार धनराशि का विवरण एवं प्रशिक्षण लक्ष्य

क्रमांक	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	क्रमांक	जनपद का नाम	धनराशि (लाख रु0 में)	प्रशिक्षार्थियो की संख्या
1	डालीगंज, लखनऊ	1	लखनऊ	0.50	25
		2	सीतापुर	0.50	25
		3	रायबरेली	0.50	25
		4	बाराबंकी	0.50	25
			योग	**2.00**	**100**
2	खजनी, गोरखपुर	1	सिद्धार्थनगर	0.50	25
		2	बस्ती	0.50	25
		3	संत कबीर नगर	0.50	25
			योग	**1.50**	**75**
3	बहराइच	1	श्रावस्ती	0.50	25
		2	गोण्डा	0.50	25
		3	फैजाबाद	0.50	25
			योग	**1.50**	**75**
4	अनुवा, इलाहाबाद	1	इलाहाबाद	0.50	25
		2	फतेहपुर	0.50	25
		3	कौशाम्बी	0.50	25
		4	भदोही	0.50	25
		5	सुल्तानपुर	0.50	25
			योग	**2.50**	**125**
5	आहोपट्टी, आजमगढ़	1	वाराणसी	0.50	25
		2	जौनपुर	0.50	25
		3	चन्दौली	0.50	25
			योग	**1.50**	**75**
6	धर्मागतपुर, रतनपुरा, मऊ	1	देवरिया	0.50	25
		2	गाजीपुर	0.50	25
			योग	**1.00**	**50**
7	कालपी, जालौन	1	कानपुर देहात	0.50	25
		2	इटावा	0.50	25
		3	औरैया	0.50	25
		4	हमीरपुर	0.50	25
		5	चित्रकूट	0.50	25
			योग	**2.50**	**125**
8	पिपरौला, शाहजहाँपुर	1	बरेली	0.50	25
		2	शाहजहाँपुर	0.50	25
		3	पीलीभीत	0.50	25
		4	बदायूँ	0.50	25
			योग	**2.00**	**100**
9	अडिंग, मथुरा	1	आगरा	0.50	25

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

		2	मथुरा	0.50	25
		3	अलीगढ़	0.50	25
		4	एटा	0.50	25
			योग	**2.00**	**100**
10	नजीबाबाद, बिजनौर	1	सहारनपुर	0.50	25
		2	मेरठ	0.50	25
		3	बागपत	0.50	25
		4	गाजियाबाद	0.50	25
		5	रामपुर	0.50	25
		6	बुलन्दशहर	0.50	25
		7	गौतमबुद्ध नगर	0.50	25
			योग	**3.50**	**175**
			महायोग	**20.00**	**1000**

{ रुपये बीस लाख मात्र }

(आर0 डी0 कल्याण)
अनु सचिव

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com